प्रपत्र -21

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 06AA 23

अनापत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पं
कलौरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
अन्य हेतु यह ग्राम-कलौरा में जहाँ
नाप-बेनाप या वन पंचायत की भूमि
है। यह सड़क होती है। उसके लिए स
ग्रामवासियों को जनहित को ध्यान में र
किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
अतः सड़क कार्य शीघ्र आरम्भ किया।

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

ह०/अपठित

प्रधान
ग्राम पंचायत
वि० ख०-धौलादेवी

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता,
नि० ख०, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

सरपंच फोरेस्ट पंचायत कलौरा
पो० ..., अल्मोड़ा

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
... लो०नि०वि०

क्र० 108
रुपया 10
ग्राम- ...
तहसील
पा० ... 23/1/2010
... पंचायत कलौरा वि०खण्ड - धौलादेवी
अल्मोड़ा

(60)

द्वारा – चलमोडी़ मार्ग से कलौटा हेतु मोटरमार्ग

सेवा में

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय
लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

विषय :– ग्राम पंचायत कलौटा हेतु प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र –

महोदय

विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत कलौटा हेतु प्रस्तावित "प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना" के अन्तर्गत चलमोडी़ मार्ग से कुलौरी (धूरा) कोटखुना, मैनोली, बिनौलीखेत, खोई (कानेधार) हन्याना, पाभों, कलौटा तक सड़क निर्माण कार्य हेतु (सर्वेक्षण कार्य) कलौटा में जहाँ भी नाप, बेनाप वन पंचायत एवं वन भूमि जहाँ आती है या कटती है। उसके लिए हम समस्त ग्रामवासी (लाभार्थी) सहमत हैं। उक्त सड़क निर्माण कार्य में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः शीघ्र सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया जाय जिसके लिए समस्त ग्रामवासी आजीवन आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद –

मथुरा दत्त पाण्डे
ओमप्रकाश
सरस्वती देवी
गोपाल
मथुरादत्त पाण्डे
भवानीदत्त भट्ट
लीलादेवी
कमलादेवी
नन्दी देवी
Puran Lal Shah
किशन सिंह
सरस्वती
नन्दी देवी
चन्द्रा बल्लभ
बद्री दत्त
निशान नन्दी देवी
राम सिंह
गोपाल दत्त
Pandey

राज्य शाह
चन्द्रशेखर
देवीलाल शाह
गिरीश चन्द्र
निशान पदमा देवी
त्रिलोक सिंह
बसन्त बल्लभ
कीर्तिदत्त
निशान गंगा देवी
बीना पाण्डेय
निशान जगत सिंह
जगदीश सिंह
बद्री दत्त पाण्डे
उर्वा दत्त
मथुरादत्त
बसन्ती
किसनानन्द
बसन्त पाण्डे
नन्दा बल्लभ
गोपाल
हरीदत्त
शंकरदत्त
दुर्गादेवी
गोपाल दत्त
राम सिंह

प्रधान
ग्राम पंचायत कलौटा
वि० ख०-लोहाघाट (अल्मोड़ा)

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
नि० ख० लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा - दिनांक 29/01/10

विषय :- ग्राम पंचायत थली वि.ख. धौलादेवी की कलौटा गांव तक प्रधान मंत्री सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम कुलौरी एवं थली को जोड़े जाने बावत

महोदय,

विश्वसनीय सूत्रों से विदित हुआ कि चलमोड़ी गाड़ा से कलौटा गांव तक प्र.मं. सड़क योजना के तहत सड़क का बनना सुनिश्चित हुआ है। अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ मोटर मार्ग से कुलौरी एवं थली गांव मात्र 1½ कि.मी. समीप होते हुए आज तक सड़क सुविधा से वंचित हैं। उपरोक्त योजना का लाभ देकर गांवों को कथित सड़क से जोड़ने का पुरजोर अनुरोध करते हैं, सड़क निर्माण होने से गांव वासी आभारी रहेंगे।

सड़क निर्माण में नाप बेनाप और जंगल के प्रयोग होने में गांव वासियों की ओर से कोई रुकावट नहीं होगी।

1) बिरराम S/ दौलतराम → बिरराम
2) रमुली देवी W/o बिरराम → नि. अं. रमुली देवी
3) गुमान सिंह S/ तिलोक सिंह → गुमानसिंह
4) हेमा देवी W/o चन्दन सिंह → हेमा देवी
5) कलावती देवी W/o नाथूसिंह → नि० अं० कलावती
6) शेर सिंह S/ हिम्मत सिंह → शेरसिंह
7) देवकी देवी W/o नर सिंह → नि० अं० देवकी देवी
8) गौरी देवी W/o रूप सिंह वार्ड पंच → गौरी देवी
9) गोविन्द सिंह S/ चन्द्र सिंह → गो सिंह
10) नन्दी देवी W/o नर सिंह → नि० अं० नन्दी देवी
11) जमुना देवी W/o शेरसिंह → नि० अं० जमुना देवी

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
नि० ख०, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

12) सुनीता देवी W/o मदन सिंह → सुनीता देवी
14) दीपा बिष्ट D/ प्रतापसिंह बिष्ट → Deepa Bisht
15) हरुली देवी W/o दान सिंह → नि० अं० हरुली देवी
) हिम्मत सिंह S/ देव सिंह → हिम्मतसिंह
) तिलोक सिंह S/ कुवरसिंह → तिलोक सिंह
) लालूराम S/ देवराम → लालूराम
) रूप सिंह S/ दौलतसिंह → रूपसिंह
) बिलराम S/ हरराम → नि० अं० बिलराम
) सन्तोषी देवी W/o चन्दन सिंह → सन्तोषी देवी
) लाडिली देवी W/o फकीर राम → नि० अं० लाडिली देवी
) जिबुली देवी W/o तारीराम → नि० अं० जिबुली देवी
) जगतराम S/ डिगरराम → जगतराम
) तिलराम S/ डिगरराम → तिलराम
) खीमराम S/ डिगरराम → खीमराम
) शेरराम S/ धुसीराम → शेरराम
) जगदीशराम S/ किशनराम वार्ड पंच → जगदीशराम
28) हरीराम S/ अनराम → हरीराम
29) गोपालराम S/ धनीराम → गोपाल राम
30) गोविन्दराम S/ देवराम → गोविन्दराम
31) अनिल कुमार S/ गंगाराम → अनिल कुमार
32) प्रताप सिंह S/ तिलोक सिंह → प्रतापसिंह
33) दिवान सिंह S/ शेर सिंह → दीवान सिंह
34) शेखरचन्द्र S/ सोमदत्त → शेखरचन्द्र
35) बसन्त बल्लभ S/o डिगम्बरदेव बसन्तबल्लभ
36) पूरणानन्द S/o चन्द्रमणी पूरणानन्द
37) हिमांशु चन्द्र भट्ट S/ खीमानन्द भट्ट हिमांशुचन्द्र
38) खष्टी बल्लभ भट्ट / खीमानन्द भट्ट खष्टी बल्लभ भट्ट
39) कृष्णानन्द भट्ट / दुर्गा दत्त भट्ट कृष्णा नन्द भट्ट
40)
41) रेवती देवी भट्ट
42) श्रीमती मोहनी देवी
43) भावदत्त

45) गोपालदत्त S/ कृष्णवल्लभ कैड़ा sig
46) बसन्ती देवी
47) श्रीमती पुष्पा
48) लाल सिंह S/ जगत सिंह sig → लालसिंह थली
49) जगतराम S/ कमलराम खोली → जगतराम

प्रधान
ग्राम पंचायत थली,
विकास खण्ड धौलादेवी,
जिला - अल्मोड़ा
29.01.2010

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०

62

दिनांक 26/01/2020

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग (अल्मोड़ा)

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विकास-खण्ड धौलादेवी (अल्मोड़ा) के अन्तर्गत मंजूर की जाने वाले मोटर मार्ग दन्या से कलौंर ग्राम तक जो कि विचाराधीन है, के सम्बन्ध में,

मान्यवर महोदय,

विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दन्या से कलौंर ग्राम तक मोटर मार्ग का सर्वे किया जा रहा है उक्त मार्ग से सरलता पूर्वक ग्राम कोठाकून, बैनोली, एवं बिनीरौत को भी जोड़ा जा सकता है, उक्त ग्रामों की जनसंख्या लगभग 2000 (दो हजार) है। अतः समस्त ग्राम-वासी करबद्ध निवेदन करते हैं कि उपरोक्त लिखित ग्रामों को भी उक्त मोटर मार्ग के साथ जोड़ा जाये। उक्त सड़क निर्माण में पंचायती भूमि, सिविल भूमि एवं नाप भूमि जो भी कटेगी उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, अतएव हम समस्त ग्राम वासी आपके आजीवन आभारी रहेंगे।

समस्त ग्रामसभा के सदस्य जो कि उपरोक्त ग्रामों से सम्बन्धित हैं, निम्नलिखित हैं:-

भवदीय।
समस्त ग्रामवासी

[signatures]
मनीराम उपाध्याय
हरसिंह
नवीन जोशी
बंशीधर
हेमा पाण्डे
अनीता भट्ट

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
नि० ख०, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

कलौंर
ग्रामसभा
गोविन्द वल्लभ
अनीता देवी
शिव दत्त
माया पाण्डे
कमला जोशी
Geeta Joshi
किरन जोशी
महेश चन्द्र
रमेश चन्द्र
परमानन्द
पद्मादत्त
गंगा दत्त
टीकाराम
हीरा देवी
रवीमुली देवी
हेमा जोशी
नवीन चन्द्र जोशी
Naveenchandra
चन्द्र प्रकाश जोशी
भुवनचन्द्र जोशी
गंगा देवी
बचुली देवी
हेमा पाण्डे
देवकी देवी

प्रमाणित किया जाता है कि इस ग्रामसभा से मोटर मार्ग बनने में जनपंचायत को भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। गोविन्द
ग्राम प्रधान उपाध्याय

सरपंच
वन पंचायत

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

(63)

सेवामें, श्रीमान अधिशासी अभियन्ता PWD विभाग अ०

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र

महोदय,
घाट मुख्य मोटर मार्ग के चल्मोड़ी गाड़े स्थान कलौटा गांव तक प्र. मं. स. योजना तहत सड़क का नि० होना तय है। सड़क निर्माण में नाप, बेनाप भूमि, जंगल का प्रयोग होने में ग्राम सभा चल्मी / कलौटा वालों को कोई एतराज नहीं है। दोनो गांवों की वन पंचायतें पूर्ण रूप से सड़क निर्माण के लिए सहमत हैं।

दिनांक 30/04/10

मोहर हस्ताक्षर

सरपंच
वन पंचायत ... ग्रा०
वि० ख० - धौला...
जिला - अल्मोड़ा

Gopal Datt ...

पूर्णानन्द पाण्डे

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
नि० ख०, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

(64)

निरापत्ती प्रमाणपत्र

सेवामें
अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण खण्ड अल्मोड़ा

विषय - प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम पाखूँ से भूमि सम्बन्धी निरापत्ति प्रमाण पत्र बावत

महोदय,
अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग से, अलग आर्की ग्राम कलौरा हेतु जो सड़क स्वीकृत हुई है। के क्रम में उक्त सड़क ग्राम पाखूँ से होकर जाएगी जिसके ~~...~~ पूर्व में 13 km सर्वे कार्य हो चुका है और सर्वे केवल मेरी नाप खाते व मेरे मकान के नीचे से होकर ग्राम कलौरा की सरहद में गया है।
अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे मकान के नीचे पक्की दीवार का निर्माण कराया। रोड के नीचे व ऊपर जो भूमि है उसके ऊपर रोड का कोई मलबा न आवे इसका प्राविधान आगणन में ही करके सड़क निर्माण किया जाय। तो प्रार्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
यह सर्वे केवल मेरे ही नाप खेतों से होकर जा रहा। अन्य ग्रामवासियों की आपत्ति निराधार है।

प्रार्थी
[signature]
वंशीलाल साह
S/o श्री स्व० नन्दलाल साह
ग्राम - पाखूँ
पो० ऑ० - खेती
वि० ख० धौलादेवी
ग्राम पंचायत - घार
जनपद - अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई
कृपया प्रार्थी की आपत्ति / मांगों को निराकरण हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।
[signature]

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
नि० ख०, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

महोदय उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण में ग्राम पंचायत पाखूँ की सिंचाई गूल क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत कार्य विभाग करने हेतु आगणन के साथ ... जाए।
प्रधान

अल्मोड़ा-घाट मो० मार्ग के किमी० 50 से अटल आदर्श ग्राम कलौंरा तक मोटर मार्ग।

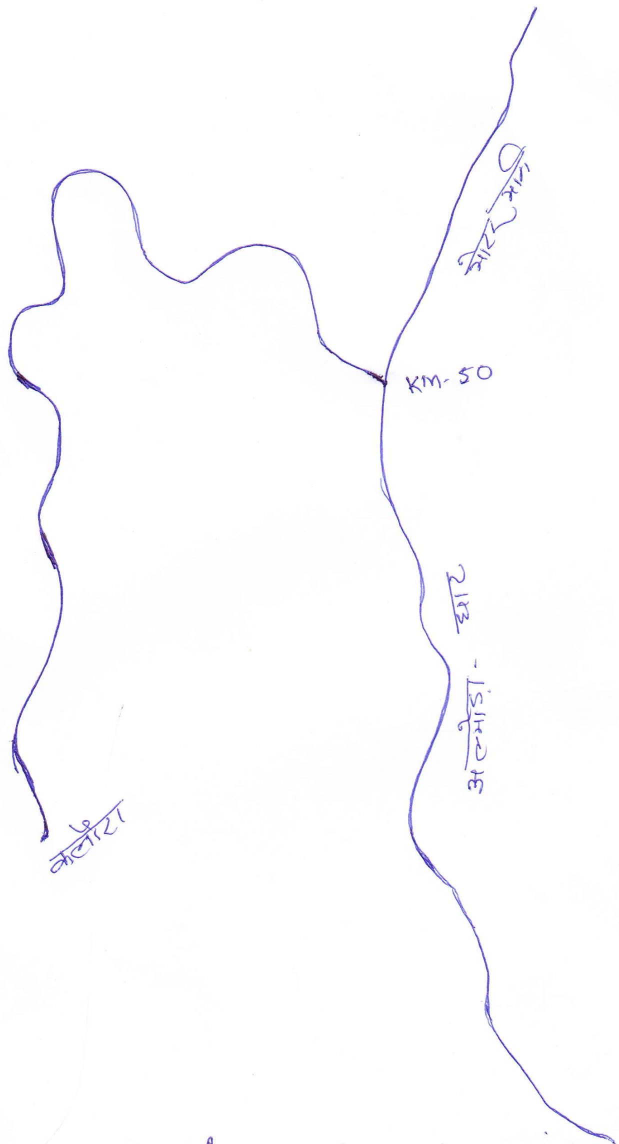

JE

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

Component wise Details of Construction Work

Part 1.

1- Hill cutting and filling.
2- Construction of Scupper

Part 2.

1- Construction of parapet.
2- Construction of R/B wall.
3- Construction of Km. Stone, Hec. Stone, Edge Stone.
4- Soiling to remove defects.
5- Construction of katcha drain

Improvement.

1- Soiling
2- Inter Coat
3- Top Coat
4- Surface Course.
5- Construction of pucca Drain
6- Crash barriers/Delinators
7- Road Marking
8- Sign Boards.

प्रपत्र–14

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

प्रयोक्ता एजेन्सी, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी

सिविल एव सायम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

बागेश्वर वन

44

प्र पत्र 26

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

भूगर्भीय खण्ड

उत्तराखण्ड शासन

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी 61 / सड़क संरेखण / कुमायूँ / 2010

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 50 (चलमोड़ीगाड़ा) से कलौटा मोटर मार्ग के 13.300 कि0मी0 सड़क संरेखन की भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या।

जुलाई 2010

जनपद अल्मोड़ा [illegible] के अन्तर्गत अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 50 (चलमोड़ीगाड़ा) से कलौटा मोटर मार्ग के 13.300 कि0मी0 सड़क संरेखन की भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या।

1– प्रस्तावनाः–

जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 50 (चलमोड़ीगाड़ा) से कलौटा मोटर मार्ग के 13.300 कि0मी0 भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दिनांक 13.07.2010 को श्री तुला राम, सहायक अभियता एवं प्रकाश चन्द्र पन्त, कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खंड, लो0नि0विभाग, अल्मोड़ा के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया । स्थल का निरीक्षण, स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके ।

2–स्थितिः–

1. यह संरेखन अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 50 (चलमोड़ीगाड़ा) से प्रारम्भ होता है।
2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कलौटा 29°36'03' अक्षांश तथा 79°56' देशान्तर पर स्थित है।

3– भूगर्भीय स्थितिः–

यह संरेखन कुमायूँ लेसर हिमालय के अन्तर्गत अल्मोडा वर्ग के ग्रेनाइट–ग्रेनोडायोराइट वर्ग के नाइस–शिश्ट फार्मेशन एवं रामगढ़ वर्ग के क्वार्टजाईट फोरमेशन में फैला हुआ है । स्थल क्षेत्र में मिट्टी के रंग की महीन एवं मोटे पर्तवाली क्वार्टजाईट–नाइस–शिश्ट चट्टानें तीन प्रकार के ज्वाइन्ट से पूर्ण दक्षिणपूर्व दिशा के झुकाव के साथ विद्यमान है । इस संरेखन में चट्टानों में किया गया अध्ययन निम्नवत् है।

1.	40 – 220	/ दक्षिणपूर्व	/ 31°	नति
2.	40 – 220	/ दक्षिणपूर्व	/ 33°	नति
3.	40 – 220	/ दक्षिणपूर्व	/ 35°	नति
4.	60 – 240	/ पष्चिमोत्तर	/ 55°	संधि
5.	60 – 240	/ पष्चिमोत्तर	/ 57°	संधि
6.	60 – 240	/ पष्चिमोत्तर	/ 590	संधि
7.	120– 300	/दक्षिण पष्चिम	/ 350	संधि
8.	120 – 300	/दक्षिण पष्चिम	/ 370	संधि
9.	120 – 300	/दक्षिण पष्चिम	/ ·390	संधि

चट्टानों के ऊपर डेब्रिस तथा उसके ऊपर मिट्टी की पर्त विद्यमान है। टेक्टोनिक कम निम्नवत् हैः–

घास आदि
मिट्टी की महीन परत
डेबिस
नाइस
शिश्ट
नाइस
क्वार्टजाइट
चट्टान

चट्टानों के ऊपर घास आदि विद्यमान है। इस सम्पूर्ण संरेखन में पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में दक्षिणपश्चिम, दक्षिणपूर्व एवं पूर्वोत्तर दिशा को है। इस संरेखण के कि0मी0 5 में दो पेरेनियल नाले किमी0 8 में दो तथा कि0मी0 12 में तीन पेरेनियल नाले विद्यमान हैं।

4– स्थल वर्णन :–

यह संरेखन अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के कि0मी0, 50 (चलमोड़ीगाड़ा) से प्रारम्भ होकर कलौटा ग्राम के बीच में 13.300 कि0मी0 लम्बाई में फैला हुआ है। यह संरेखन उक्त मोटर से प्रारम्भ होकर 350 मी0 दक्षिणपूर्व दिशा को दक्षिणपश्चिम दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। उसके बाद संरेखन पश्चिमोत्तर दिशा को पूर्वोत्तर दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ कि0मी0 1.00 के अन्त तक जाता है। उसके बाद समरेखण पूर्वोत्तर दिशा को 75 मी0 दक्षिणपूर्व दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। कि0मी0 2 का शेष भाग पूर्वोत्तर दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ विद्यमान है। कि0मी0 3 का पहाड़ी ढलान दक्षिणपूर्व दिशा की ओर तथा कि0मी0 4 का पहाड़ी ढलान पूर्वोत्तर दिशा की ओर है। कि0मी0 5 का पहाड़ी ढलान दक्षिणपूर्व दिशा की ओर तथा कि0मी0 6 से 10 तक का पहाड़ी ढलान दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। किमी0 8 एवं 9 में क्रमशः 77 मीटर एवं 129 मीटर लम्बाई में तीव्र पहाड़ी ढलान विद्यमान है। कि0मी0 11 से 13.300 तक का पहाड़ी ढलान दक्षिणपूर्व दिशा की ओर है।

इस संरेखन कि0मी0 2 में एक कुलोरी एवं थली ग्राम तथा प्राईमरी पाठशाला तथा एक जूनियर हाईस्कूल विद्यमान है। कि0मी0 3 में थली गॉव, कि0मी0 4 में पैंधार गॉव, कि0मी0 5 में कोठाकुना, कि0मी0 6 में नैनोली, कि0मी0 7 में कनेड़ा ग्राम, कि0मी0 8 मे खौड़ी ग्राम, कि0मी0 9 में रीठाकोट ग्राम, कि0मी0 10 में छनटाना एवं गोठा ग्राम, कि0मी0 12 में पाभौं एवं कलौटा ग्राम, कि0मी0 13–14 में कलौटा ग्राम विद्यमान है। यह सम्पूर्ण संरेखन नाप/ बेनाप भूमि से होकर गुजरता है। प्रारम्भ

में यह संरेखन नाइसिक/क्वार्टजाइट चट्टानी भाग को पार करता है। नाप भूमि के नीचे खेतों में चट्टानें विद्यमान है इस संरेखन में कई सूखे नाले विद्यमान है जिनको यह संरेखन पार करता है।

इस संरेखन में कोई भी भू–स्खलन विद्यमान नही है। इस संरेखन के नाप भूमि वाले भाग में कोई भी वृक्ष नही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दो संरेखन स्थल देखा गया जिसमें से द्वितीय संरेखन स्थल को भू–गर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाते हुए चयनित नहीं किया गया है। प्रथम संरेखन स्थल को भू–गर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित एवं उपयुक्त पाते हुए चयनित किया गया है। इस संरेखन की स्थिति निम्नवत है।

5– स्थायित्व का विचारः–

इस सम्पूर्ण संरेखन में स्थल की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस सम्पूर्ण स्थल में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है:–

(1) यह पर्वतीय क्षेत्र में है ।

(2) यह भूकम्पीय क्षेत्र में है ।

(3) पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।

(4) इस संरेखन में सम्पूर्ण भाग बेनाप/नाप भूमि है।

(5) इस संरेखन मे कई ग्राम आते है।

(6) इस संरेखण के कि0मी0 5 में दो पेरेनियल नाले किमी0 8 में दो तथा कि0मी0 12 में तीन पेरेनियल नाले विद्यमान हैं।

(7) किमी0 8 एवं 9 में क्रमशः 77 मीटर एवं 129 मीटर लम्बाई में तीव्र पहाडी–ढ़लान विद्यमान है।

(8) इस संरेखन में कई प्राईमरी पाटशालायें एव मन्दिर विद्यमान है।

(9) इस में कई सूखे नाले विद्यमान हैं।

(10) इस संरेखन में कोई भी भूस्खलन क्षेत्र विद्यमान नही है।

(11) इस संरेखन में पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में है।

6– सुझावः–

इस सम्पूर्ण संरेखन मे स्थल की स्थल संरचना व वनावट, स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों आदि को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्न सुझाव दिये जाते है:–

1. सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/कॉजवे का निर्माण किया जाय।
2. पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।

3. गॉव/मिट्टी/डेब्रिस वाले भाग में आवश्कतानुसार ब्रेस्ट/रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाय।
4. गॉव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का प्रयोग न किया जाय।
5. कि0मी0 5 के पेरेनियल नालों पर कमशः 24 मी0 एवं 06 मी0 विस्तार के पुल का निर्माण किया जाय। कि0मी0 8 के पेरेनियल नालों पर क्रमशः 2 मी0 एवं 6 मी0 विस्तार के पुल का निर्माण किया जाय। कि0मी0 12 के पेरेनियल नालों पर क्रमशः कॉजवे, 12 मी0 एवं 24 मी0 विस्तार के पुल का निर्माण किया जाय।
6. किमी0 8 एवं 9 में क्रमशः 77 मीटर एवं 129 मीटर लम्बाई में तीव्र पहाड़ी ढ़लान पर क्रमशः मोटर मार्ग का निर्माण सावधानीपूर्वक किया जाय।
7. मिट्टी वाले भाग में मोटर मार्ग के वाह्य भाग को ऊँचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी वाह्य भाग को पार कर न बहे जिससे मार्ग यथावत बना रहे।
8. पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाले मोटर मार्गो के मानकों के अनुसार उपाय किये जाय।
9. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग का निर्माण किया जाय।
10. भूकम्पीय मानक के अनुसार उपाय किये जाय।
11. अन्य आवश्यक उपाय जो मोटर मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किये जाय।

7–निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णित विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है ।

14.7.2010

(मणि कर्णिका मिश्र)
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियंता,कुमायूँ क्षे0
लो0नि0विभाग,अल्मोड़ा

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
नि० ख०, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

प्रपत्र–28

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(ii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iii) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iv) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
प्रयोक्ता एजेन्सी
अल्मोड़ा

प्रपत्र–29

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

:मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र:

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एव अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौडी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेडों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्‌टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र–27

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र-30 (56)

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल० 13.00 किमी०)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,अल्मोडा।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,अल्मोडा।	जिलाधिकारी अल्मोडा

वन क्षेत्र अधिकारी
जागेश्वर,
(अल्मोड़ा)

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व पुलिस क्षेत्र
तहसील-भनोली, जिला-अल्मोड़ा
दिनांक 2/9/11

प्रतिहस्ताक्षरित
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रपत्र–31

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
प्रयोक्ता एजेन्सी
नि० खं० लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र–32

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
प्रयोक्ता एजेन्सी
नि० खं० लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र–33

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीयग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	थली	322	60
2	कुलौरी	127	22
3	नैनोली	330	62
4	कनेणा	118	20
5	खौड़ी	356	65
6	रीठाकोट	105	19
7	पाभौं	53	9
8	कलौटा	574	107
योग		**1985**	**364**

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
प्रयोक्ता एजेन्सी
अल्मोड़ा

प्रपत्र–42

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी..................
2. हरियाली का घनत्व..............
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0..................
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल............
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि..............

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रपत्र–43

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रपत्र–34

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

वन भूमि के मूल्य /वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये. 501630.00 प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 6.1863 है0 वन भूमि का कुल मूल्य रूपये 3103233.66 होता है।

उप जिलाधिकारी
भैंसी/भनोली

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रपत्र–44

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 13.00 किमी0)

<u>प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष मे किया जायेगा।

क.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊ0				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना								
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना								
4	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
5	पानी की ढुलाई आदि								
6	कुल योग								

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सायम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

Undertaking of user agency to bear the cost of demarcation work

परियोजना का नामः– अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा ग्राम को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।
(लम्बाई 13.300 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि सीमांकन हेतु पिलरों के निर्माण की धनराशि को याचक विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु कोई आगणन प्रस्तुत किया जायेगा। उसकी धनराशि विभाग द्वारा वन विभाग उपलब्ध कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा
प्रयोक्ता एजेन्सी